कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी; राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांकः– 1771 दिनांकः–02/12/22

UBN

निविदा सूचना

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में जॉब बेस पर कार्य हेतु पंजीकृत संस्थाओं/सेवा प्रदाताओ से निम्न कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	जॉब बेस/ विजिटिंग कार्य की प्रवृति	अनुमानित लागत रू.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.	अमानत राशि रू.	निविदा विक्रय करने की अंतिम दिनांक	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	PSA प्लान्ट हेतु ऑपरेटर	0.90 लाख	200	1800	12.12.22 11:00 AM	12.12.22 11:00 AM	12.12.22 11:30 AM

एवं

उक्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत जारी की जाकर राजकीय वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है। निविदा की अन्य शर्ते कार्यालय में देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव

मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी नीमकाथाना

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय सामान्य जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांकः– 1771 दिनांकः– 02/12/22

उक्त निविदा सूचना आज दिनांक 02.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

सदस्य सचिव

मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी नीमकाथाना

तकनीकी बिड (स्टेज–1)

(जॉब बेस/विजिटिंग आधार पर कार्य हेतु)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संवेदक/फर्म का नाम तथा डाक का पुरा पताः–..
....
पिन कोड..दूरभाष..मो.नं............................ ई–मेल..
2. निविदा शुल्क की नकद जमा राशि रूपये 200/– रसीद सं0...................दिनांक.............................
3. निवीदादाता फर्म/संवेदक के द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जावेगा एवं उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों /दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी।

क्र. सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमाकं	वैद्यता अवधि
1	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970					
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952					
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948					
4	वस्तुएं एवं सेवा कर					
5	पेन नम्बर					
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनर–शीप 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत					
7	बोलीदाता के किसी भी विभाग/संस्था ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में वचनबद्धता पत्र					
8	सूचना में अंकित धरोहर राशि रू.......... डीडी नम्बर............................ दिनांक........................... का विवरण					
9	मेन पॉवर सप्लाई कार्य हेतु किसी भी विभाग का अनुभव प्रमाण पत्र					

4. रजिस्ट्रीकृत संस्था/संवेदक/ठेकेदार दवारा जॉब बेस/विजिटिंग आधार पर निविदा शर्तो अनुसार निविदा की 0.5 प्रतिशत राशि तीन दिवस में जमा करा दी जायेगी।
5. विभाग द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. काट कर भुगतान किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

संस्था/फर्म का नाम

क्र. सं.	जोब बेस / विजिटिंग के आधार पर कार्य की प्रवृति	योग्यता	अनुमानित पदों की संख्या
1	PSA प्लान्ट हेतु ऑपरेटर	ITI डिप्लोमाधारी एवं कम्प्युटर का ज्ञान एवं RSCIT डिप्लोमाधारी	2

निविदा की सामान्य शर्तें

1. निविदा लिफाफे पर जिस कार्य हेतु निविदा दी जाती हैं उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहियें। निविदा विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. दर संविदा सामान्यत 31 मार्च 2023 तक के लिए वैध होगी, जिसे आपसी सहमति द्वारा बढाया जा सकता हैं।
3. निविदादाता / संस्था / फर्म / ऐजेन्सी को पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करनें का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियॉ निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
4. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नही लगाया जाएगा। किसी भी कार्मिक के अवकाश पर रहनें या राजकीय अवकाश के दिनों में अपेक्षित संख्या में कार्मिकों की सेवा प्रदाय करनें का दायित्व ठेकेदार का ही होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
5. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना को होगा।
6. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करनें का अधिकार सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना को होगा।
7. न्यूनतम दरों को स्वीकार / अस्वीकार करनें का अधिकार विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
8. ठेकेदार को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को ठेका सबलेट नही करेगा।
9. निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर बिना पूर्व नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
10. निविदा के सम्बन्ध में अन्य कोई शर्त मान्य नही होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा।
11. ठेकेदार के किसी कार्मिक द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करनें / अवांछित गतिविधियों से लिप्त पायें जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करनें सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कार्मिक को हटानें का निर्देश ठेकेदार को देता हैं तो ठेकदार द्वारा उस कार्मिक को तुरन्त हटाना होगा। कार्मिक / सेवाप्रदाता अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल से जुडाव नहीं होना चाहीए।
12. ठेकेदार को अनुबन्ध के साथ उसके द्वारा उपलब्ध करायें गये कार्मिकों की सूची उनके बायोडेटा मय योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित), पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदायकर्ता को अपनें कार्मिकों को पहचान / परिचय पत्र उपलब्ध करानें होगें।
13. सफल निविदादाता द्वारा कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें गये कार्मिकों की कार्यावधि ठेके की अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एंवं किसी भी स्थिति में कार्मिक नियमित नियुक्ति के पात्र नही होगें।
14. कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्मिकों की संख्या को कम व अधिक करनें का सदस्य सचिव को पूर्ण अधिकार होगा। कार्मिको का नियोजन किसी एक परिवार के सदस्यों में से नही किया जावेगा। कार्मिक के पुलिस सत्यापन एवं उनके स्वस्थ होने के प्रमाणन पश्चात ही संस्थान द्वारा उन्हें नियोजित किया जावेगा।

15. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध करायें जाएगे। ठेकेदार द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्मिक उपलब्ध करायें जानें पर कार्य सन्तोषजनक नही होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।
16. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाऐं आदि में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करनें का दायित्व ठेकेदार का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नही करनें की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। ठेकेदार को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करनें का दायित्व ठेकेदार का होगा, पालना नही करनें की स्थिति में सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना को ठेका निरस्त करनें का पूर्ण अधिकार होगा।
17. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत् कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह ठेकेदार स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को अपनें कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य घण्टें दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की (श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों मे) सूचना व अन्य समस्त प्रकार का रिकोर्ड को तैयार करनें एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखनें की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
18. निविदा अनुमोदन होने पर संबंधित संस्था/फर्म/संवेदक द्वारा रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
19. ठेकेदार द्वारा अपनें कार्मिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा चाहें सदस्य सचिव से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हुआ हो। ठेकेदार जिस दिन व समय पर श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना निश्चित करेगा वह दिन व समय कार्यालय को अनुबन्ध प्रारम्भ होते ही सूचित करेगा।
20. ठेकेदार द्वारा कार्य बीच में छोडनें पर या उसका कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में स्वीकृत ठेका निरस्त कर अमानत राशि जब्त करनें का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना को होगा।
21. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय या कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती हैं या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग होता हैं तो उसकी समस्त दायित्व, क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए सरकार या सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना जिम्मेदार नही होगा।
22. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कार्मिक न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता हैं और इसमें विभाग को भी पक्षकार बनाता हें तो सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,, प्रशासन पर पडनें वाला समस्त भार ठेकेदार से वसूलेगा।
23. यदि ठेकेदार एवं कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता हैं तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,एवं प्रशासन का कोई दायित्व नही होगा।
24. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी ,का निर्णय अंतिम होगा व ठेकेदार को मानना होगा।
25. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही नीमकाथाना न्यायालय में ही होगी।
26. संवेदक द्वारा निविदा प्रारूप में अंकित शैक्षणिक योग्यता रखनें वाले कार्मिक ही उपलब्ध कराऐ जायेंगे।
27. संवेदक द्वारा नियुक्त कार्मिको द्वारा यदि कोई आर्थिक नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई संवेदक द्वारा की जायेगी।
28. संवेदक द्वारा अपने कार्मिको को उनके पारिश्रमिक का भुगतान नकद न कर सीधे उनके खाते में ही करना होगा तथा इसकी प्रति प्रतिमाह कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। प्रति उपलब्ध करवाने पर ही अगले माह का भुगतान किया जायेगा।
29. श्रम विभाग द्वारा मान्य रजिस्ट्रेशन पी.एफ., ई.एस.आई., सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर, आयकर पेन कार्ड नम्बर, आदि प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
30. कार्मिको को बदले जाने की सूचना 24 घंटे पूर्व ही सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी को दी जावेगी तथा किसी कार्मिक के उपलब्ध न होने पर दूसरा कार्मिक तुरन्त उपलब्ध कराना होगा।

31. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा जिसमे नियोजित श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौति ओर संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

32. राज्य में लागू श्रम नियमो के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्य संवेदक का होगा।

33. संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में जीएसटी के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वो के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का हेागा।

34. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी ओर, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को DEBAR कराने की कार्यवाही करेगी।

मैनें/हमनें उपरोक्तानुसार वर्णित भार्त संख्या 1 से 34 तक को भली भांति पढ लिया हैं एवं समझ लिया हैं। हम उपरोक्त वर्णित सभी भार्तो की पूर्ण पालना करनें के लिए सहमत हैं। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य भार्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारें द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

~~घोषणा~~ पत्र

घोषणा–पत्र

मै/हम यह घोषणा करते है कि हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्ते नहीं लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

बोली की समस्त जानकारी/शर्तो का मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के साथ ही धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई हो तो उसे निरस्त कर अमानत राशि/सिक्युरिटी राशि जब्त कर सकेगा।

दिनाक..................

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म की सील
संस्था/फर्म का नाम

वित्तीय निविदा(स्टेज 2)

क्र. सं.	जोव वेस के आधार पर कार्य की प्रवृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्युनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी			सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि(रू0 में) प्रति माह प्रति इकाई	ई.पी.एफ. दर प्रतिशत	ईएसआई. दर प्रतिशत
		श्रमिक की श्रेणी	न्युनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति इकाई रूपये)	श्रमिको की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PSA प्लान्ट हेतु ऑपरेटर	कुशल	7358	2		13 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत

1. उपयुक्त तालिका की स्तम्भ संख्या 6, में ही वोलीदाता द्वारा प्रविष्टियॉ की जावेगी।
2. संवेदक/वोलीदाता को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. सेवाप्रदाता द्वारा सर्विस चार्ज राशि पुर्णाकों में लिखना आवश्यक है जो की शुन्य या शुन्य के समानान्तर मान्य नही होगी ।
4. स्तम्भ संख्या 6 में कवेल सर्विस चार्ज ही भरा जावे।
5. वित्तीय निविदा अलग से वंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

नोटः– श्रम विभाग द्वारा श्रम नियमो की पालना में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों को अनिवार्य रूप से ठेकेदार को ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान संबंधित के खातें में करना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुये दर देवें। उपर्युक्त अंकित दरें एक 31.03.2023 तक वैध है। समयावधि में वृद्धि पारस्परिक सहमति से की जा सकती है। निविदा सूचना में वर्णित समस्त शर्तो की पालना के लिए हम सहमत है । उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठ में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठो पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमारे हस्ताक्षर कर दिये गये है, का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

दिनांक..................

हस्ताक्षर निविदादाता
संस्था/फर्म का नाम